सप्तदश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

<u>दैनिक विवरणिका</u>

संख्या–03 बुधवार, दिनांक–27 नवम्बर, 2024 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.12 बजे अपराह्न तक

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय उपमुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा सूचित किया गया कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति तथा यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के संस्कृत एवं मैथिली भाषा में अनुवाद का विमोचन किया गया तथा यह अनुरोध किया गया कि इसके लिए सदन से सर्वसम्मति से भारत सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाय।

तदुपरांत आसन द्वारा कहा गया कि कल दिनांक 26.11.2024 को महामहिम राष्ट्रपति तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संविधान की संस्कृत तथा मैथिली भाषा में अनुवाद को जनता को लोकार्पित किया गया है, इसके लिए सदन की सहमति हो तो उन्हें सदन की ओर से धन्यवाद दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई।

[1] <u>प्रश्नकाल</u> :–

(i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iii) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 181 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा समय की मांग की गयी।

[2] <u>कार्य स्थगन प्रस्ताव</u> :–

माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री शकील अहमद खाँ, श्री अजय कुमार, श्री संदीप सौरभ, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सुर्यकान्त पासवान, श्री विजय कुमार, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री गोपाल रविदास, श्री महा नंद सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री रणविजय साहू तथा माननीय सदस्य,

[5] <u>विधायी कार्य</u> – राजकीय विधेयक :–

i. <u>बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024</u>

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, श्री जयन्त राज द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। साथ ही विधेयक के एक खंड में मुद्रण भूल की बात भी कही गई।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन से अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii. <u>बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024</u>

माननीय मंत्री, खेल विभाग विभाग, श्री सुरेन्द्र मेहता द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त, "बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[6] <u>निवेदन</u> :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 58 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तदुपरांत आसन द्वारा आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति को सौंपने की घोषणा की गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–27.11.2024

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[3] <u>शून्यकाल</u> :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) श्री मोहम्मद अनजार नईमी
(ii) श्री मुरारी मोहन झा
(iii) श्री राणा रणधीर
(iv) श्री उमाकान्त सिंह
(v) श्री ललन कुमार
(vi) श्री इजहारूल हुसैन
(vii) श्री कुंदन कुमार
(viii) श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण कार्यस्थगन प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति देने तथा इस विषय पर चर्चा किये जाने की मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया और कहा गया कि सदन की प्रक्रिया नियमावली से ही चलेगी। चुंकि यह विषय राज्य सरकार का नहीं है, इसलिए सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–80 एवं 82 के तहत इसे पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और न ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है।

आसन द्वारा बार–बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अपराह्न से 02:20 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[4] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :–

1. माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा–8(3) के तहत बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते)(संशोधन) नियमावली, 2024 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया, जिसे 14 दिनों तक सदन पटल पर रखने की घोषणा आसन के द्वारा की गयी।
2. माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
3. माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 223वाँ एवं 225वाँ प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
4. माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन सं0–06 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।